राज्य सभा

संसदीय समाचार

भाग - 2

सं.56442-56450]   **शुक्रवार**, 10 **मार्च**, 2017

सं.56442   *विधायी अनुभाग*

मंगलवार, 14 **मार्च**, 2017 **के लिए नियत राज्य सभा की बैठक का रद्द किया जाना**

सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि सभा में आज (10.03.2017) की गई घोषणा के अनुसार मंगलवार, 14 मार्च, 2017 को होने वाली राज्य सभा की बैठक **रद्द कर दी गई है**। तदनुसार, उस दिन सभा की बैठक नहीं होगी।

सं.56443   *प्रश्न शाखा*

मंगलवार, 14 **मार्च**, 2017 **के लिए सूचीबद्ध प्रश्नों का निपटान**

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि मंगलवार, 14 मार्च, 2017 को राज्य सभा की बैठक रद्द होने के कारण उस दिन के लिए सूचीबद्ध सभी प्रश्नों के उत्तरों को बुधवार, 15 मार्च, 2017 को सभा पटल पर रखा जाएगा।

सं.56444   *पटल कार्यालय*

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें

उपसभापति ने आज (10 3-2017) सभा में निम्नलिखित घोषणा कीः

"मुझे सदस्यों को यह सूचित करना है कि कार्य मंत्रणा समिति ने 9 मार्च, 2017 को हुई अपनी बैठक में सरकारी विधान तथा अन्य कार्यों के लिए निम्नानुसार समय आबंटित किया हैः-

कार्य	आबंटित समय
1. 22 दिसम्बर, 2016 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) पांचवां अध्यादेश, 2016 (2016 का संख्यांक 8) का निरनुमोदन करने वाला डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी और श्री हुसैन दलवई के नाम से स्वीकृत परिनियत संकल्प। 2. शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2016 - **अध्यादेश के प्रतिस्थापनार्थ** पर, लोक सभा द्वारा पारित तथा राज्य सभा की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार तथा पारण।	**दो घंटे** ***(इन पर साथ-साथ चर्चा की जाएगी)***
3. मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2014 पर विचार तथा पारण।	**दो घंटे**
4. सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, आगे विचार तथा पारण। 5. भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 पर, लोक सभा द्वारा पारित तथा राज्य सभा की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार तथा पारण।	**चार घंटे** ***(इन पर साथ-साथ चर्चा की जाएगी)***
6. लोक सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात्, निम्नलिखित अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयकों पर विचार तथा लौटाया जानाः- (क) 2016-17 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (सामान्य)। (ख) 2017-18 के लिए अनुदान मांगें।	**चार घंटे** ***(इन पर साथ-साथ चर्चा की जाएगी)***

कार्य			आबंटित समय
7.	लोक सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात्, निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारणः-		
	(क)	नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) विधेयक, 2016.	**एक घंटा**
	(ख)	संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016.	**एक घंटा**
	(ग)	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016.	**एक घंटा**
8.	निम्नलिखित मंत्रालयों के कार्यकरण पर चर्चाः-		
	(क)	रेल;	**प्रत्येक के लिए चार घण्टे**"
	(ख)	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन;	
	(ग)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम; और	
	(घ)	सूचना और प्रसारण	

सं.56445 *पटल कार्यालय*

मंगलवार, 14 **मार्च**, 2017 **से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य**

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज (10-03-2017) सभा में वक्तव्य दिया कि मंगलवार, 14 मार्च, 2017 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य में निम्नलिखित शामिल होंगेः-

1. आज की कार्यावलि से आगे ले जाई गई सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: -

(क) शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) पांचवां अध्यादेश, 2016 (2016 का सं. 8) का निरनुमोदन करने वाले परिनियत संकल्प पर चर्चा तथा लोक सभा द्वारा यथापारित और राज्य सभा की प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2016 पर विचार तथा पारण।

(ख) केंद्रीय बजट, 2017-18 पर आगे सामान्य चर्चा।

2. निम्नलिखित मंत्रालयों के कार्यकरण पर चर्चा-

(क) रेल;
(ख) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन;
(ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम; और
(घ) सूचना और प्रसारण।

3. कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016 पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में विचार तथा पारण।

4. मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2014 पर विचार तथा पारण।

सं.56446 *समिति समन्वय अनुभाग*

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीएसईआर) परिषद् के लिए निर्वाचन

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीएसईआर) परिषद् के लिए नामांकन पत्र प्राप्त करने, उम्मीदवारी से नाम वापस लेने और, यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन, जिसके संबंध में 8 दिसम्बर, 2016 को राज्य सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था, के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है:-

1.	निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्याः	एक
2.	नामांकन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख तथा समयः	17 मार्च, 2017 (मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे तक)
3.	उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख तथा समयः	21 मार्च, 2017 (मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे तक)
4.	निर्वाचन की तारीख और समयः	27 मार्च, 2017 (मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे से मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे तक)
5.	निर्वाचन का स्थानः	समिति कक्ष सं. 63, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली।
6.	निर्वाचन पद्धतिः	एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व।

सं.56447 *समिति समन्वय अनुभाग*

त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की कोर्ट के लिए नामनिर्देशन

राज्य सभा के सभापति ने त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की कोर्ट की सदस्यता के लिए 10 मार्च, 2017 को राज्य सभा सदस्य श्रीमती झरना दास बैद्य को नामनिर्देशित किया है।

सं.56448 *विधायी अनुभाग*

31 **मार्च**, 2017 **के लिए गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प**

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार, 31 मार्च, 2017 को चर्चा किए जाने हेतु गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए आज 10 मार्च, 2017 को लाटरी निकाली गई। निम्नलिखित सदस्यों को प्रथम पांच प्राथमिकताएं प्राप्त हुईं :-

1. श्री संजय सेठ
2. श्री भूपेन्द्र यादव
3. श्री डी. राजा
4. श्री वि. विजयसाई रेड्डी
5. श्री पी. एल. पुनिया

संबंधित सदस्यों से अनुरोध है कि वे संकल्प का पाठ देने की कृपा करें जिसे, नियमों के अंतर्गत ग्राह्यता के अध्यधीन, लाटरी में प्राप्त प्राथमिकताओं के अनुक्रम में 31 मार्च, 2017 की कार्यावलि में उनके नाम से शामिल किया जा सके। पाठ सोमवार, 20 मार्च, 2017 तक सचिवालय में प्राप्त हो जाना चाहिए।

सं.56449 *प्रश्न शाखा*

प्रश्नों की सूचनाओं के बैलटों के परिणाम

राज्य सभा की 27, 28 और 29 मार्च, 2017 को होने वाली बैठकों के लिए 10 मार्च, 2017 को म.प. 3.00 बजे तक प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं के संबंध में 10 मार्च, 2017 को अपर सचिव (क्यू) की उपस्थिति में बैलट कराए गए।

सदस्यों की सूचना हेतु तारांकित प्रश्नों के बैलटों के परिणामों को सूचना कार्यालय में रखा गया है और बाहरी लॉबी में सूचना पट्ट पर भी लगाया गया है।

सं.56450 *युगपत् भाषान्तरण सेवा*

ध्वनि व्यवस्था में व्यवधान को दूर करना

यह देखा गया है कि कुछ माननीय सदस्य अपने स्थान से उठते समय अपने इयरफोन के वाल्यूम नॉब को बन्द नहीं करते हैं जिसके कारण सभा की ध्वनि व्यवस्था में व्यवधान आ जाता है। अतः माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जब वे अपने स्थान से उठें तो नॉब को बाईं ओर घुमा दें।

शमशेर के. शरीफ,
महासचिव।